

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1329 /14-1, दिनांक: अलीगढ़, अक्टूबर 10, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

765 के०वी० डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

आपका पत्र संख्या 3089/उरई-अलीगढ़ लाइन(2.8256)/26448/2017 दिनांक 07.05.2018 एवं वन

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव को समेकित करने हेतु नामित नोडल अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 8बी/यू०पी०/04/37/2018/एफ०सी०/80 दिनांक 04.05.2018 द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख सहित आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उपलब्ध करायी गयी, जिसके आधार पर वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्र संख्या 1681/14-1 दिनांक 09.10.2018 द्वारा बिन्दुवार आख्या आपको प्रेषित की गयी है। अतः विषयक प्रस्ताव इस स्तर से संस्तुति सहित ऑन लाइन आपको अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,



(वी०के० मिश्रा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।



पत्रांक 1329 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।



(वी०के० मिश्रा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।



